न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 414/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

अमृत भेंगरा – विक्रेता

अनमोल गुड़िया – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.12.20	**आदेश** आवेदक अमृत भेंगरा पिता जीवन मसीह भेंगरा ग्राम–गेरेन्डा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने अनमोल गुड़िया पिता आनन्द मसीह गुड़िया ग्राम–रोन्हे, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
गेरेन्दा	36	12	01	0.22

अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 374 दिनांक 19.06.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी नहीं के कारण भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

5/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

5/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।